कालबाधित कुमार

झारखण्ड सरकार बनाम सम्बु सोय

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।

वाद संख्या M-97/2018-19

धारा –107 द0प्र0सं0

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.07.18	थाना प्रभारी सैको के अप्राथमिकी संख्या 12/18 दिनांक 03.07.2018 के द्वारा धारा 107 द0प्र0स0 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु दायर किये है, जिसमें द्वितीय पक्ष सम्बु सोय उर्फ प्रकाश सोय पिता स्व0 निमियाँ सोय, ग्राम सैको, सभी थाना सैको जिला खूँटी के द्वारा दिनांक 05.07.2018 को भूमि अधिग्रहण से संबंधित झारखण्ड बन्द का आहवान् किया गया था, जिसमें बन्द को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों को बाध्य कर रहे थे। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जायगी। अतः मैं **प्रणव कुमार पॉल** अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट हो कर द0प्र0सं0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करता हूँ। उभय पक्षों के विरूद्व नोटिस निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उनसे प्रत्येक को एक हजार रूपये का बंध–पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश दिया जाय। दिनांक 18.07.18 को उपस्थापित करें। 11/7/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।	65 11/7/18
18/7/18	नोटिस तामिला अप्राप्त। दिनांक 25/7/18 को पेश।	
25/7/18	~~नोटिस तामिला प्राप्त। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।~~ दिनांक- 30/7/18 को रखें। 25/7/18	

11/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। ~~अगली तिथि 09.02.19 नियत है।~~ कालबाधित होने के कारण वाद को समाप्त किया जाता है।

29.01.19